वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2023-24

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
UTTARAKHAND COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

UTTARAKHAND COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24

(1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)

अध्यक्ष की कलम से

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव और संतोष का अनुभव हो रहा है। मैं 40 वर्षों से अधिक समय से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में बच्चों के साथ जुड़ी रही और अब यह संबंध इस प्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ और भी गहरा हो गया है, आयोग के द्वारा बच्चों के अधिकारों उनके संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास, उपलब्धियां और भविष्य की आकांक्षाओं को आपके साथ साझा करना इस प्रतिवेदन का लक्ष्य है। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों, उनकी रक्षा और उत्थान के प्रति अपनी अनवरत प्रतिबद्धता को बनाये रखने और उनसे संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। मजबूत नीतियां कानूनी ढांचों के समर्थन से लेकर कमजोर नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालने वाले पहलुओं को लागू करने में आयोग एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक सुरक्षित पोषणयुक्त वातावरण में बच्चें फले फूले और सुंदर बौद्धिक विकास के द्वारा एक सशक्त व्यक्तित्व का स्वामी बने। यही हमारा उद्देश्य है और इसे पूर्ण करने हेतु जनपदों में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों के सहयोग से बच्चों को सशक्त बनाने के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ समन्यवय बैठकों का आयोजन किया गया। बालश्रम, तस्करी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नशा, साइबर क्राइम और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी हमने समय समय पर बैठकों और उनसे संबंधित अधिकारियों के साथ वार्तालाप और विचार साझा कर उसके माध्यम से उनकी चुनौतियों को संबोधित करने की लगातार कोशिश की है। हमारा ध्यान एक ऐसे वातावरण की तरफ है जहां मेरे प्रदेश के हर बच्चे को अधिकार, मान्यता सम्मान मिले नीति निर्माताओं सामाजिक नेता नागरिक समाज, अभिभावकों तथा सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग बनाकर हमने बदलती हुई वैश्विक मानकों के साथ मेल खाती कार्य नीति घोषित की है।

मैं मा0 मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन कर इस कार्यक्षेत्र में काम करने का मौका दिया और हमारी सभी सलाहों को माना।

मैं विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। कि उन्होंने सदैव अपनी उत्साहवर्धक कार्यशैली से प्रोत्साहित किया है।

मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी टीम के सदस्यों का जिनके समर्थ भागीदारी प्रयास और साझा दृष्टिकोण हमारे बाल पोषण उद्देश्य को आगे बढाने में महत्वपूर्ण रहे ।

डा0 (गीता खन्ना)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

प्रस्तावना

मैं अत्यंत हर्ष के साथ उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) की ओर से वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रतिवेदन में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सामूहिक प्रयास, उपलब्धियाँ, और उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा के प्रति आयोग ने प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया है। यह वर्ष आयोग के लिये परिवर्तन व चुनौतियों से भरा रहा है। आयोग ने कई बाधाओं का सामना करते हुए दृढ़ता और सहयोग के साथ राज्य के हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आयोग की प्रमुख उपलब्धी बच्चों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली पहलों का कार्यान्वयन करवाना, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि करवाना तथा बाल सुरक्षा तंत्र को सुधारना रहा है।

यह वार्षिक रिपोर्ट आयोग के गतिविधियों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें प्राप्त की गई उपलब्धियाँ और सामना की गई चुनौतियाँ उजागर की गई हैं। आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर गम्भीर विषयों पर परिचर्चा की गयी, जिसमें अन्य राज्यों के महानुभावों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया तथा बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये अपने राज्य में किये जा रहे कार्यों को साझा किया। आयोग का यह प्रयास हमारी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सेवा वितरण में निरंतर सुधार के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

मैं इस माध्यम से आयोग की समर्पित टीम, साझेदारों और हितधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सभी कार्यों को सफलता से पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उन बच्चों और उनके परिवारों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी दृढ़ता और आशा के साथ हमें प्रेरित किया।

सभी बच्चों के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा में इस यात्रा में आपके निरंतर समर्थन और साझेदारी के लिए धन्यवाद।

(प्रदीप सिंह रावत)
सचिव
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अनुक्रमाणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	महानुभावों का विवरण	6
2.	आयोग की टीम	7
3.	बच्चों के अधिकार	8
4.	आयोग की रणनीति	9
5.	आयोग के शक्तियां	10
6.	आयोग के कार्य	11
7.	आयोग द्वारा निस्तारित शिकायतें	13
8.	आयोग के विशेष मामलें	36
9.	आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला/कार्यक्रम	38
10.	आयोग द्वारा किये गये निरीक्षण	64
11.	आयोग द्वारा आहूत बैठकें	72
12.	आयोग द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट, पुस्तिका व ब्रोशर	79
13.	बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005	90
14.	बजट वर्ष 2023-24	102
15.	फोटो गैलरी	106
16.	प्रिन्ट मीडिया	118

महानुभावों का विवरण

क्र0 सं0	महानुभाव का पदनाम व नाम	फोटो	दूरभाष सं0	कार्यवधि
1.	मा0 अध्यक्ष, डा0 गीता खन्ना		9897341000, 9412058970	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
2.	मा0 सदस्य, श्री दीपक गुलाटी		9897224444	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
3.	मा0 सदस्य, श्रीमती रेखा रौतेला		9258127058	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
4.	मा0 सदस्य, श्रीमती सुमन राय		9258127059	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
5.	मा0 सदस्य, श्री धरम सिंह		9258127060	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
6.	मा0 सदस्य, श्री अजय वर्मा		9557965134	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
7.	मा0 सदस्य, श्री विनोद कपरवाण		8475026711	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक

मा0 अध्यक्ष का निजी स्टाफ

1.	व्यक्तिक सहायक		श्री विशाल चाचरा	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक
2.	अनुसेवक		श्री महेन्द्र	07 जनवरी, 2022 से 06 जनवरी, 2025 तक

आयोग की टीम

क्र0 सं0	पदनाम	नाम	कब से	कब तक	फोटो
01.	सचिव	श्री प्रदीप सिंह रावत	11.07.2023	आतिथि तक	
02.	अनुसचिव	श्री एस0 के0 सिंह	10.04.2023	आतिथि तक	
03.	विधि अधिकारी	श्रीमती ममता रौथाण	19.12.2019	आतिथि तक	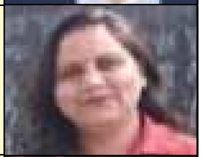
04.	बाल मनोवैज्ञानिक	सुश्री निशात इकबाल	03.02.2020	आतिथि तक	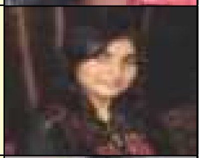
05.	सहायक लेखाकार	श्री संदीप कुमार	12.06.2013	आतिथि तक	
06.	वरिष्ठ सहायक	श्री नितिन राणा	14.01.2019	आतिथि तक	
07.	कनिष्ठ सहायक	श्रीमती शांति भट्ट	27.06.2022	आतिथि तक	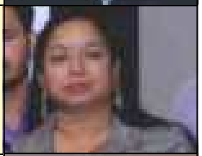
08.	डी0ई0ओ0	श्री विपिन बुटोला	23.06.2022	आतिथि तक	
10.	अनुसेवक	श्री विवेक कुमार	16.04.2012	आतिथि तक	
11.	अनुसेवक	श्री जगदीश सिंह बिष्ट	05.09.2014	आतिथि तक	

बच्चों के अधिकार

बच्चों के अधिकार निम्न हैं :

- जन्म लेने का अधिकार।
- नाम एवं राष्ट्रीयता पाने का अधिकार।
- जीने का अधिकार।
- स्वतंत्रता का अधिकार।
- अपने परिवार के साथ रहने का व परिवार द्वारा स्वयं की देखभाल किये जाने का अधिकार।
- प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।
- मानसिक, शारीरिक एवं भावना के साथ जीने का अधिकार।
- अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अधिकार।
- पर्याप्त भोजन, आवास एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार।
- अच्छे आचार–व्यवहार व तौर तरीके सीखने का अधिकार।
- खेल एवं मनोरंजन के अवसरों का अधिकार।
- युद्ध, झगड़ों, खतरे एवं हिंसा के दौरान बचाव का अधिकार।
- शांतिपूर्ण समुदाय में जीने का अधिकार।
- सरकार द्वारा बचाव व सहयोग किए जाने का अधिकार।
- अपने विचारों को व्यक्त (राय की अभिव्यक्ति) करने का अधिकार।
- संगठनों से जुड़ने एवं शांतिपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार।
- सीखने का अधिकार।
- हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा एवं शोषण के विरूद्ध लड़ने को अधिकार।
- पोषक आहार, स्वच्छ पानी एवं साफ वातावरण का अधिकार।

आयोग की रणनीति

आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है, जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं–

1. **जनजागरुकता (Public Awareness)** – बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हों, उनके स्वास्थ, शारीरिक, मानसिक व जीवन हेतु समाज की भूमिका के सम्बन्ध में जन–सामान्य को अधिक से अधिक जागरुक करने हेतु कार्यशालाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

2. **निगरानी (Monitoring)** – बच्चों से सम्बन्धित सभी विधियों, नीतियों, कार्यक्रमों, क्रियाओं एवं संस्थागत तंत्र के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने हेतु विभिन्न विधिक प्रावधानों की पालन हेतु विभागों की निगरानी करना।

3. **अनुशंसाएं (Recommendations)** – बच्चों से सम्बन्धित विधिक एवं नीतिगत तंत्र में विद्यमान कमियों को सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत करना एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सरकार को अनुशंसा करना।

4. **शिकायत की जाँच (Inquiry of Complaint)** – उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन से प्राप्त शिकायतों (लिखित, ई–मेल, स्वतः संज्ञान) में सम्बन्धित से रिपोर्ट मंगवाकर, सम्बन्धित की व्यक्तिगत उपस्थिति, निरीक्षण व जाँच कमेटी गठित कर शिकायतों की जाँच कर पीड़ितों को न्याय दिलाना है।

5- **शोध (Research)** – उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विपरीत परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, बच्चों के विकास से सम्बन्धित पहलुओं एवं बाल अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर शोध हेतु बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया है जिनके द्वारा शोध कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

आयोग की शक्तियाँ

राज्य बाल अधिकार बाल संरक्षण आयोग, संसद से पारित सी.पी.सी.आर. अधिनियम 2005 की धारा 17 के अन्तर्गत गठित एवं संवैधानिक आयोग है। आयोग को सी.पी.सी.आर कानून की धारा 13 (जे) में निम्नलिखित मुद्दों पर स्वयं जांच करने का अधिकार है–

13(J) 1. बाल अधिकारों का उल्लंघन होने पर।

2. बाल संरक्षण कानूनों को लागू न किये जाने पर।

3. बच्चों को राहत पहुँचाने, उनके कल्याण से सम्बधिंत कार्य का दिशा निर्देश या निर्देशों या नीतिगत फैसलों को लागू न किये जाने पर।

14(1) आयोग जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत कोई जाँच कर रहा होगा, तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल कोर्ट को मिले अधिकार प्राप्त होंगे। खासकर निम्न मामलों में–

(क) किसी भी व्यक्ति को तलब करना और पेश होने के लिए बाध्य करना और शपथपूर्ण पूछताछ करना

(ख) किसी भी दस्तावेज को हासिल करना

(ग) शपथ पत्र (Affidavit) पर सबूत हासिल करना

(घ) किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगवाना

(ड़) गवाह या दस्तावेज की पडताल के लिए आदेश देना।

14(2) आयोग को अधिकार होगा कि वह कोई मामला अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को सुनवाई के लिए भेज दे। अगर मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अंतर्गत भेजा जाएगा तो मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई शुरू करेगा।

15 इस कानून के अंतर्गत जांच के बाद आयोग निम्न में से कोई भी कदम उठा सकता है–

(I) प्रभावित व्यक्ति या उस के पारिवारिक सदस्यों को अंतरिम राहत देने के लिए आयोग सरकार या अधिकारियों को सिफारिश कर सकता है।

(II) आयोग सरकार या अन्य को निर्देश, आदेश जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट भी जा सकता है।

(III) अगर जांच में पाया जाता है कि बाल अधिकारों के मामले में गंभीर किस्म का उल्लंघन हुआ है या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो आयोग संबंधित सरकार या अधिकारी को मुकदमा चलाने की कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है या संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

16(2) आयोग सरकार को वार्शिक रिपोर्ट देगा, जिसे सरकार विधानसभा के सदन पटल पर रखेगी।

44 (1) पोक्सो एक्ट के प्रावधानों को लागू किये जाने की मॉनिटरिंग का अधिकार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को होगा।

109 (J) किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को लागू किये जाने की मॉनिटरिंग का अधिकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग को होगा।

आयोग के कार्य

उत्तराखण्ड शासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना सं0–1092/**XVII(4)**/2011/10 देहरादून, दिनांक 10 मई, 2011 के द्वारा आयोग को निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व दिए गये हैं–

1. बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना,
2. प्रतिवर्ष या समय–समय पर जैसा कि आयोग उचित समझे, पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना,
3. बाल अधिकारों के हनन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना,
4. बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे आंतकवाद, साम्प्रदायिक, हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना,
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों में संरक्षण के साथ ही अवसाद ग्रस्त बच्चे, अपेक्षित एवं शोषित बच्चों, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहिन बच्चे एवं कैदियो के बच्चों के लिए उचित चिकित्सा संबंधी एवं अन्य उपायो की अनुशंसा करना,
6. विभिन्न सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय–समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना,
7. बाल अधिकारों के संबंध में, समाज के सभी वर्गो में शिक्षा का प्रसार करना तथा बाल अधिकारों से संबंधित वर्तमान रक्षोपायों का, प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना,

8. बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित करना,

9. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बाल संप्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से संबंधित अन्य संस्थानों, जहां पर बच्चों को ईलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना,

10. ऐसे मामलों में शिकायतों की जाँच करना और नोटिस जारी करना, जहाँ–

(क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन हो,

(ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियो का क्रियान्वयन न होना,

(ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिये बनायी गयी नीति, निर्देशिका अथवा निर्देश, जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुंचाना है, का भली भांति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना,

(घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से संबंधित।

<u>अन्य कार्य</u>

11. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा संबंधी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण, बच्चों के प्रदत्त अधिकारों/रक्षापायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संस्तुतियां करना, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

आयोग द्वारा निस्तारित शिकायतें

(भाग-1)

निस्तारित शिकायतों का अधिनियम वार विवरण
(01 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 तक)

अधिनियम **ACT**	निस्तारित **Disposed**
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई) Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009	44
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम, 2012 (पोक्सो) The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO)	45
किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015	31
बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986	02
अन्य Other	18
कुल योग **Total**	140

निस्तारित शिकायतों का वर्षवार विवरण (01 अप्रैल 2023 – 31 मार्च, 2024 तक)	
वर्ष	निस्तारित
2018–19	02
2019–20	05
2020–21	09
2021–22	10
2022–23	84
2023–24	30
कुल योग	140

आयोग द्वारा शिकायतों की क्रमवार सूची
(01 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024)

वर्ष 2018–19					
क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
1.	44 / 18–19	श्री सुरेश कुनियाल, सदस्य, बाल कल्याण समिति, चमोली।	आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों के भौतिक सत्यापन एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने सम्बन्धी।	आर0टी0ई0	04.12.2023
2.	133 / 18–19	श्री मनोज निषाद, सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी–भूपतवाला, जनपद–हरिद्वार	राजकीय इंटर कॉलेज पथरी, जिला हरिद्वार के जर्जर भवन के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में।	आर0टी0ई0	12.06.2023

वर्ष 2019–20					
क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
1.	14 / 19–20	श्री मनोज कुमार अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री दयाराम अग्रवाल निवासी–50 अमन विहार, निरंजनपुर, देहरादून।	सेन्ट पेट्रिक एकेडमी स्कूल, देहरादून में यू0के0जी0 में दाखिला न देने संबंधी शिकायत।	आर0टी0ई0	14.06.2023
2.	151 / 19–20	श्री राजेन्द्र चौहान, निवासी–64, बकरालवाला नेशविला रोड़, देहरादून।	कारमन स्कूल डालनवाला, देहरादून में छात्र की फीस माफ करने विषयक।	आर0टी0ई0	12.06.2023

वर्ष 2019–20

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
3.	153/19–20	समस्त अभिभावक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ढ़ाकीवाला विकासनगर, देहरादून।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढ़ाकीवाला विकासनगर, देहरादून में बच्चों को बैठने की व्यवस्था व विद्यालय की जर्जर हालात विषयक।	आर0टी0ई0	28.03.2024
4.	161/19–20	श्री हिमांशु सिन्हा लीगासोल, लॉ ऑफिस, मृदुल विहार नियर–सिंथिया स्कूल पीली कोठी रोड़, हल्द्वानी जनपद–नैनीताल।	सेंट मैरीस सेकेंडरी स्कूल गंगापुर रोड़, फुलसुंगा, रुद्रपुर रैनबो पब्लिक स्कूल आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर, जनपद–ऊधमसिंहनगर द्वारा तीन वर्ष से लगातार फीस वृद्वि एवं कक्षा में 40 से ज्यादा छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में शिकायत।	आर0टी0ई0	28.06.2023
5.	175/19–20	श्री सिद्वार्थ शर्मा, निवासी–ग्रॉम एवं पो0–रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून।	सेवा में कमी के आधार पर समस्त वार्षिक शुल्क व क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	आर0टी0ई0	31.07.2023

वर्ष 2020–21

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
1.	30/20–21	श्री धीरज वशिष्ठ नि0 राज विहार कॉलोनी फेस–2 जगजीतपुर, हरिद्वार।	हरिद्वार में विद्यालयों के मानक विरूद्ध मान्यता प्रदान करने व भ्रष्टाचार विषयक।	आर0टी0ई0	12.06.2023

वर्ष 2020–21

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
2.	52/20–21	जितेन्द्र सिह लेखपाल सिह एल 142 फेस 4 शिवालिक नगर मेल रानीपुर हरिद्वार	रा0प्रा0वि0 अलीपुर बहादराबाद हरिद्वार द्वारा गरीब बच्चों के मिड–डे मिल में अनियमित्ता की जांच विषयक	आर0टी0ई0	28.06.2023
3.	117/20–21	श्री दयाल सिंह राणा, पता पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत पालर, पो0 गंगानी बड़कोट, उत्तरकाशी।	ग्राम पचायंत पालर में प्रा0वि0 के भवन निर्माण के संबंध में	आर0टी0ई0	12.06.2023
4.	137/20–21	श्री बी0डी0 जोशी, वरिष्ठ नागरिक सदस्य, आर टी आई, देहरादून।	उत्तराखण्ड में बच्चों के जन्म पंजीयन के पश्चात् जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक भ्रष्टाचार, मध्यम व निम्न वर्ग के अभिभावक लाचर, बाल अधिकार प्रभावित होने के संबंध में।	अन्य	12.06.2023
5.	146/20–21	श्री हरिराम, महासचिव, युवा कांग्रेस, राजपुर रोड़ देहरादून।	राजकीय चिकित्सा में इलाज के दौरान अनीमियाओं के कारण गर्भ में शिशु की मौत विषयक।	अन्य	28.06.2023
6.	151/20–21	श्री टी0एन0 जोहर, स्पेशल जुविनाइल पुलिस युनिट देहरादून।	बसंत विहार के पंजाब नेशनल बैंक के बेसमेन्ट में नाबालिक बालकों से बालश्रम किये जाने विषयक।	बालश्रम	28.06.2023
7.	163/20–21	सुश्री पुनम नि0 नेहरू कॉलोनी देहरादून।	आर0टी0ई0 के अंतर्गत अध्ययनरत बालक का स्कूल स्थानातरित करने के संबंध में।	आर0टी0ई0	06.07.2023

वर्ष 2020–21

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
8.	165/20–21	समस्त अभिभावक, देहरादून।	विधार्थीयों की आनलाईन शिक्षा संबंधित	आर0टी0ई0	12.06.2023
9.	193/20–21	अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति रा0प्रा0वि0 कर्णपुर, खानपुर, हरिद्वार।	रा0प्रा0वि0 करणपुर में ग्रामवासियों का गन्दा पानी आने के कारण विद्यालय में जल भराव के संबंध में।	आर0टी0ई0	02.01.2024

वर्ष 2021–22

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
1.	8/21–22	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, नि0–सुमन मार्ग, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	रा0इ0का0 में छात्रों के जीवन व भविष्य की सुरक्षा एवं बाल अधिकारों के हनन के संबध में।	आर0टी0ई0	10.05.2023
2.	59/21–22	मौ0 सलमान, लाईन नं0–17 वन भुलपुरा हल्द्वानी, नैनीताल।	रा0इ0का0 व नवलपुरा हल्द्वानी द्वारा बच्चों को न पढ़ाने के संबंध में	आर0टी0ई0	18.05.2023
3.	32/21–22	श्री सूरज सागर (अधिवक्ता), सा0का0 कार्यालय आवास वार्ड नं0–10 चीनी मिल बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।	कोविड–19 की तीसरी लहर से बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा हेतु सुझाव।	अन्य	27.06.2023
4.	81/21–22	श्री पंकज बिशनोई, ब्लॉक मंत्री रूड़की, व श्री मनमोहन शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, रूड़की, हरिद्वार।	शासन/निदशालय स्तर से बंद/विलीन किए जा चुके नगर क्षेत्र रूड़की के प्राथमिक वद्यालयों को जनपद– हरिद्वार के संबंध में।	आर0टी0ई0	28.04.2023

वर्ष 2021—22

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
5.	83 / 21—22	मा0 सदस्य, बाल कल्याण समिति, देहरादून	बालिका वंशिका उम्र 13 वर्ष के संबंध में	पोक्सो	03.04.2024
6.	86 / 21—22	श्री राजकुमार, नि0—बी—6 चन्द्रनगर, देहरादून, श्री गुरू नानक पब्लिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज, रेसकोर्स, दे0दून के अभिभावक।	श्री गुरू नानक पब्लिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज दे0दून में अध्यननरत छात्र—छात्राओं के मानसिक उत्पीड़न विषयक।	आर0टी0ई0	12.06.2023
7.	90 / 21—22	श्री दीपक भटनागर, नि0—भगवानपुर, लक्ष्मी नारायण मन्दिर गली, हल्द्वानी, नैनीताल	निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल काठगोदाम, हल्द्वानी में श्री दीपक भटनागर की बालिका कु0 तेजेस्वनी आयु 07 वर्ष को प्रवेश दिलाने विषयक।	आर0टी0ई0	12.06.2023
8.	115 / 21—22	समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान, देहरादून।	तीन लाख रूपये में लड़की को बेचकर की जबरदस्ती शादी व नाबालिग से दुष्कर्म, आठ पर मुकदमा दर्ज विषयक।	पोक्सो	28.04.2023
9.	138 / 21—22	श्री सुदेश उनियाल, महा सचिव, एन0ए0पी0सी0आर0।	विकासनगर के द लक्ष्य पब्लिक स्कूल बस दुर्घटना में मारे गये बच्चों के संबंध में।	अन्य	11.05.2023
10.	143 / 21—22	श्री अमित गौतम नि0—130 माजरा जनपद—देहरादून	ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के कारण बच्चों का शारीरिक व मानसिक शोषण के संबंध में।	अन्य	01.05.2023

वर्ष 2022—23					
क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
1.	18/22—23	मो0 आशिक, सा0का0, शिमला बाईपास रोड़, मेहूंवाला माफी पो0ओ0 मेहूंवाला, देहरदून।	बालको का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अर्न्तगत लाटरी प्रक्रिया सम्बन्धित शासनादेश के संबंध में।	आर0टी0ई0	03.10.2023
2.	24/22—23	ई—मेल से प्राप्त शिकायत का आयोग का स्वतः संज्ञान।	ऐन मेरी स्कूल द्वारा किये गये छात्रों के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के संबंध में।	जे0जे0	16.10.2023
3.	29/22—23	श्री अमित बलोदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आसरा ट्रस्ट, देहरादून।	बालिका को रेस्क्यू कर उसे आश्रय गृह उपलब्ध कराने के संबंध में।	जे0जे0	28.03.2024
4.	32/22—23	इशिका आजाद, नि0—56 चुक्खूवाला, देहरादून।	देहरादून में धारा चौकी पुलिस द्वारा 03 बच्चों को माता—पिता के सुख से वंचित किये जाने के संबंध में।	जे0जे0	20.04.2023
5.	34/22—23	तन्मय मंमगाई, सचिव, धाद संस्था।	प्रा0 वि0 भितरली, ब्लॉक सहसपुर, देहरादून के कक्षा पांच की छात्रा	आर0टी0ई0	28.04.2023
6.	35/22—23	समाचार पत्र की कतरन पर प्रकाशित खबर किशोरी का नहाते हुए वीडियो बनाया का स्वतः संज्ञान।	किशोरी का नहाते हुए वीडियों बनाया के संबंध में।	पोक्सो	19.09.2023
7.	38/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। हरिद्वार।	रूड़की में मासूम बालिका से दुष्कर्म के संबंध में।	पोक्सो	18.08.2023

वर्ष 2022–23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
8.	39/22–23	जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून।	बालिका निकिता के संबंध में जांच कर आख्या विषयक।	अन्य	17.04.2023
9.	41/22–23	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के संबंध में स्वतः संज्ञान। देहरादून	सहसपुर से घर लौट रही किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	19.09.2023
10.	42/22–23	श्री पल्टन साहनी, नि0–444 खुडबुड़ा महौल्ला, देहरादून।	नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर विवाह करने के बाद उससे घरेलू हिंसा के संबंध में।	अन्य	02.01.2024
3.	29/22–23	श्री अमित बलोदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आसरा ट्रस्ट, देहरादून।	बालिका को रेस्क्यू कर उसे आश्रय गृह उपलब्ध कराने के संबंध में।	जे0जे0	28.03.2024
4.	32/22–23	इशिका आजाद, नि0–56 चुक्खूवाला, देहरादून।	देहरादून में धारा चौकी पुलिस द्वारा 03 बच्चों को माता–पिता के सुख से वंचित किये जाने के संबंध में।	जे0जे0	20.04.2023
5.	34/22–23	तन्मय मंमगाई, सचिव, धाद संस्था।	प्रा0 वि0 भितरली, ब्लॉक सहसपुर, देहरादून के कक्षा पांच की छात्रा	आर0टी0ई0	28.04.2023
6.	35/22–23	समाचार पत्र की कतरन पर प्रकाशित खबर किशोरी का नहाते हुए वीडियों बनाया का स्वतः संज्ञान।	किशोरी का नहाते हुए वीडियों बनाया के संबंध में।	पोक्सो	19.09.2023
7.	38/22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। हरिद्वार।	रूड़की में मासूम बालिका से दुष्कर्म के संबंध में।	पोक्सो	18.08.2023
8.	39/22–23	जिला परिवीक्षा अधिकारी, देहरादून।	बालिका निकिता के संबंध में जांच कर आख्या विषयक।	अन्य	17.04.2023

वर्ष 2022–23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
9.	41/22–23	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के संबंध में स्वतः संज्ञान। देहरादून	सहसपुर से घर लौट रही किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	19.09.2023
10.	42/22–23	श्री पल्टन साहनी, नि0–444 खुडबुड़ा महौल्ला, देहरादून।	नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर विवाह करने के बाद उससे घरेलू हिंसा के संबंध में।	अन्य	02.01.2024
11.	45/22–23	श्रीमती अनामिका सनेरिया, पति अंकुर सनेरिया नि0–87/65 ओल्ड डालनवाला, देहरादून।	नाबालिग बालकों की सुरक्षा के संबंध में।	जे0जे0	28.03.2024
12.	48/22–23	श्री आनन्दमणी, पुसोला ग्रा0पो0 बालावाला, देहरादून	प्रार्थी को अपने पिता के विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाए उत्तराखण्ड से पेंशन एवं मृत्यु उपादन भुगतान विषयक।	अन्य	18.05.2023
13.	49/22–23	श्रीमती लक्ष्मी कापडी, पुत्र श्री रामदत्त कापड़ी, जिला ऊधमसिंह नगर	न्यू लाइफ नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र सिंतारगंज के संचालकों द्वारा बच्चों एवं युवकों पर अमानवीय व्यवहार विषयक।	अन्य	04.12.2023
14.	51/22–23	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के संबंध में। स्वतः संज्ञान	पहाड़ों में जान हथेली पर रख स्कूल जा रहे बच्चे विषयक	आर0टी0ई0	10.01.2024
15.	62/22–23	श्री तस्लीम अहमद, पुत्र नूर हसन नि0–करीमपुर (अस्दूल्लापुर, कैंचीवाला सहसपुर, देहरादून।	स्कूल की दीवार से सटाकर लगाए जा रहे उद्योग के संबंध में।	आर0टी0ई0	18.05.2023

वर्ष 2022—23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
16.	63 / 22—23	श्री प्रकाश भट्ट, की ई—मेल द्वारा प्राप्त शिकायत	के0वी0एम0 स्कूल हीरानगर हल्द्वानी द्वारा कक्षा—11 के अभिभावकों से अनुचित फीस लिये जाने के संबंध में।	आर0टी0ई0	31.07.2023
17.	68 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग का स्वतः संज्ञान।	आश्रय गृह में किशोरी कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पुलिस में मुकदमा दर्ज करने विषयक।	जे0जे0	27.10.2023
18.	70 / 22—23	सेशल मीडिया पर वायरल खबर के संबंध में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहादून	सौतेली मां और फौजी बाप का मासूम पर कहर, खाने में दे रहे थे जहर विषयक।	जे0जे0	05.09.2023
19.	71 / 22—23	समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया पर वायरल खबर के संबंध में आयोग का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	एम्स में बैड नहीं मिलने पर नवजात शिशु कि मौत होने विषयक।	जे0जे0	04.10.2023
20.	86 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। अल्मोड़ा	इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो डालकर नाबालिग छात्रा को कर रहा बदनाम विषयक।	पोक्सो	19.09.2023
21.	93 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	बच्चे बदलने की आशंका पर नर्स व अस्पताल पर मुकदमें के आदेश विषयक।	अन्य	01.11.2023
22.	97 / 22—23	सेशल मीडिया पर वायरल खबर के संबंध में।	दिव्यांग स्कूल नैनीताल बच्चों से मारपीट के संबंध में।	जे0जे0	28.04.2023
23.	102 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	प्रा0वि0 में नहीं फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज के विषयक।	आर0टी0ई	18.08.2023

वर्ष 2022—23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
24.	105/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	नबालिग किशोरी ने दिया बच्चें को जन्म विषयक।	पोक्सो	10.01.2024
25.	106/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	महिला एवं बच्ची से मारपीट किये जाने विषयक।	जे0जे0	05.09.2023
26.	108/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	दून में ट्यूशन से घर लौट रही बालिका से दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	05.09.2023
27.	107/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	नबालिग से दुराचार के मामले में मुकदमा के संबंध में।	पोक्सो	27.10.2023
28.	109/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	मसूरी के होटल में दून की नाबालिग के साथ दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	05.09.2023
29.	112/22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	किशोरी गृह में रह रही नाबालिग गर्भवती विषयक।	पोक्सो	18.08.2023
30.	115/22—23	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	सड़क किनारे नवजात का कटा शव मिलने से सनसनी धार धार हथियार से काट कर हत्या की आशंका विषयक।	जे0जे0	04.10.2023
31.	116/22—23	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	अस्पताल ने किया रेफर गेट पर ही हो गया प्रसव विषयक।	अन्य	27.10.2023
32.	117/22—23	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	नाबालिग से दुष्कर्म अज्ञात पर मुकदमा विषयक।	पोक्सो	06.03.2024